



2026:AHC:128714

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 20602/2026

नाजिम

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विरोधी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के वकील : अंकित कुमार पाल, शाद आजम

विरोधी पक्ष(ओं) के वकील : जी.ए.,

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी,

1. आवेदक के लिए विद्वान वकील द्वारा आज दायर किए गए पूरक हलफनामे को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान वकील और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 173/2025 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 108, 85, 352, थाना - कमालगंज, जिला - फर्रुखाबाद के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. शुरुआत में, आवेदक के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि आवेदक मृतक का बहनोई है और वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि घटना कथित तौर पर 19.06.2025 को हुई थी, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 21.06.2025 को दर्ज की गई थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की रिपोर्ट के अनुसार, मौत का कारण शव परीक्षण से पहले फांसी के परिणामस्वरूप दम घुटना है। उन्होंने आगे कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। आवेदक का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 07.05.2026 से जेल में है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त, अर्थात् हासिम, जो

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मृतक का पति है, को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 29864/2025 में पारित दिनांक 30.10.2025 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत दे दी गई है। जमानत आदेश की प्रति जमानत आवेदन के पृष्ठ संख्या 96 पर संलग्न की गई है। इन परिस्थितियों में, आवेदक समानता के आधार पर जमानत पर परिवर्धन पाने का भी हकदार है। यदि उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. विद्वान एजीए ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त, अर्थात् हासिम को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

6. आवेदक के विद्वान वकील, विद्वान एजीए की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए और प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री, अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को देखते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की मिलीभगत, सजा की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन को समानता के आधार पर **अनुमति** दी जाती है।

7. आवेदक - **नाजिम**, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक उस अपराध के समान किसी भी अपराध को नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जिसके उस पर आरोप लगाया गया है, या जिस पर उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(iv) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ धारा 229-क भारतीय दंड संहिता (संबंधित धारा 269 भारतीय न्याय संहिता) के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता (संबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो विचारण न्यायालय उनके विरुद्ध कानून के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क (भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धारा 209) के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की संबंधित धारा 351) के तहत (1) मामले को खोलने, (2) आरोप तय करने और (3) बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी)

23.06.2026

मनोज

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"